प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-1** में राज्य की रूपरेखा और लेखापरीक्षा से पूर्व तथा पश्चात राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-2** एवं **3** में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों की जांच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं।

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन से संबन्धित **अध्याय-4** राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों में की गई निष्पादन लेखापरीक्षा व लेन-देनों की लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं राजस्व प्राप्तियों पर प्रस्तरों को अलग से प्रस्तुत किया गया है।